अनुदान संख्या 27 – पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग
GRANT No. 27–DEPARTMENT OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–		919,98,00	919,05,65	–92,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				49,06
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*87,30,00*	*87,22,16*	*–7,84*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*2*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	70,20,00	70,21,00	70,32,95	+11,95
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas	10800.00	10777.11	–22.89

(I) 695.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 575.00 लाख रु. प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए अधिक महत्व की परियोजनाओं पर व्यय को पूरा करने के लिए निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर परिषद के बजट में कटौती लागू किए जाने के कारण थे:-

(I) Provision of Rs.695.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.575.00 lakhs was due to cut imposed in North Eastern Council budget to meet the expenditure on projects of greater importance to meet committed liabilities under the following heads:-

(का) ''चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य - डा. बी. बरुआ कैंसर संस्थान को सहायता अनुदान''- 200.00 लाख रु.।

(खा) ''अन्य व्यय - नई योजना स्कीम''- 375.00 लाख रु.।

(II) ''अन्य व्यय - एन ई आर (एन ई सी - डी ओ एस) के लिए आपदा प्रबंधन पद्धतियां और भूकंप जोखिम मूल्यांकन/जागरूकता अध्ययन'' के अंतर्गत 144.40 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए अधिक महत्व की परियोजनाओं पर व्यय को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद के बजट में कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत 176.02 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत से 54 प्रतिशत तक थीं।

2. उपर्युक्त बचतें ''अन्य व्यय - अन्य विविध मदें'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 996.94 लाख रु. का अधिक व्यय (3934.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक प्राथमिकता वाली आईएफएडी परियोजनाओं के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, व्यय 11.95 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान (वास्तविक अधिक व्यय 11,95,395 रु. था) से अधिक हो गया। **इस अधिक व्यय को संसद से अनुदान की अतिरिक्त मांग स्वीकृत करवाकर विनियमित कराए जाने की आवश्यकता है।**

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(A) "Medical and Public Health - Grants-in-aid to Dr. B. Baruah Cancer Institute" - Rs.200.00 lakhs.

(B) "Other Expenditure - New Plan Scheme"- Rs.375.00 lakhs.

(II) Under "Other Expenditure - Disaster Management Systems for NER (NEC-DOS) and Earthquake Risk Evaluation/Awareness Studies" - saving of Rs.144.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to cut imposed in North Eastern Council budget to meet the expenditure on projects of greater importance to meet committed liabilities.

(III) Under three heads savings of Rs.176.02 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 22 percent to 54 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under "Other Expenditure - Other Miscellaneous Items" - excess of Rs.996.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3934.00 lakhs) was due to meeting the additional requirement of funds of the IFAD projects of greater priority.

3. In the voted portion of the capital section of the grant, the expenditure exceeded the sanctioned provision by Rs.11.95 lakhs (actual excess was Rs.11,95,395). **The excess requires regularisation by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas	6970.00	6980.95	+10.95

(I) "नागर विमानन - पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमानपत्तन के सुधार के लिए सहायता''- 287.75 लाख रु. का अधिक व्यय (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रति प्रतिबद्ध देयता को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(I) "Civil Aviation - Support for Improvement of Airport in North Eastern Region" - excess of Rs.287.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to meeting the committed liability towards Airport Authority of India.

(II) "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर परिषद के स्टाफ के लिए आवास/पूर्वोत्तर परिषद अतिथि गृह''- 912.25 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर परिषद के स्टाफ/अतिथि गृह के लिए आवास संबंधी क्रियाकलापों के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) "Other Expenditure - Housing for North Eastern Council Staff/North Eastern Council Guest House" - excess of Rs.912.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to additional requirement of funds for activities of Housing for North Eastern Council Staff/Guest House.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 100.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 100 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of Rs.100.00 lakhs occurred constituting 100 percent of the sanctioned provision.

4. उपर्युक्त अधिक व्यय "सड़कें और पुल - सीमा सड़क संगठन के माध्यम से बनाई जाने वाली आर्थिक महत्व की/अंतर्राज्यीय सड़कों का निर्माण/सुधार'' के अंतर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया - 1273.37 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीमा सड़क संगठन के लिए अपेक्षित निधियों का पुनर्निर्धारण किए जाने के कारण हुई।

4. The above excess was partly offset by saving under "Roads and Bridges - Construction/Improvement of roads of Economic Importance/Inter-State Roads to be executed through the Border Road Organisation" - saving of Rs.1273.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to reassessment of funds required for Border Roads Organisation.